

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 45/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

1. गोपाल पिता लादू गुर्जर निवासी खेडा राजपुरा तहसील फूलियाकलां
2. मु० गमानी पत्नि गोपाल गुर्जर निवासी खेडा राजपुरा तहसील फूलियाकलां
3. मु० समोक पुत्री गोपाल गुर्जर निवासी खेडा राजपुरा तहसील फूलियाकलां

प्रार्थीगण

बनाम

1. हाथीराम पिता भोजा गुर्जर निवासी भगवानपुरा तहसील फूलियाकलां
2. मोहन पिता देबी कुमावत निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां
3. महावीर पिता देबी गुर्जर निवासी भगवानपुरा तहसील फूलियाकलां
4. रामबक्ष पिता नखरू जाट निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
5. मु० सायरी पत्नि हाथीराम गुर्जर निवासी भगवानपुरा तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 31.05.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थीगण के ग्राम धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1731 रकबा 0.58 है०, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 1733 रकबा 0.80 है०, खसरा नम्बर 1734 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 1735/3750 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 1736/3741 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 1737 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 1743 रकबा 0.42 है०, खसरा नम्बर 1744 रकबा 0.41 है०, खसरा नम्बर 4463/1735 रकबा 1.00 है०, किता 10 कुल रकबा 4.01 है० का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम धनोप संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धनोप में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 10 रकबा 4.01 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1600/- रुपये (अक्षरे सौलह सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकला मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(एम०पी० नायक)
आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा